

आदेश

नगर निगम अमीन के प्रतिवेदन परशिष्ट "क" में स्पष्ट है कि काली ठाकुर लेन सर्वे खतियान खाता न0 479 खेसरा न0 800 जो खतियान में नगरपालिका रास्ता के नाम से दर्ज है। उक्त रास्ता के दोनों तरफ (1) श्री कारु प्रसाद साह (2) श्रीमती बन्ती देवी (3) श्री पुस्पेन्दर कुमार (4) श्री महावीर चौधरी (5) श्री शिव महतों (6) श्रीमती रानी घोष द्वारा नाला पर एवं (7) श्री जिगल महतों (8) श्री महेन्द्र राम (9) श्री राजेन्द्र राम (10) मसो0 डोली देवी (11) श्री महादेव बाबू द्वारा रोड का अतिक्रमण किया गया है।


कार्यालय ज्ञापांक 1034 दिनांक 30.03.2015 द्वारा उक्त व्यक्तियों को नोटिस दिया गया एवं दिनांक 04.04.2015 तक साक्ष्य के साथ अपना पक्ष रखने का समय दिया गया। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। पुनः कार्यालय ज्ञापांक 4807 दिनांक 01.12.2015 को नगर निगम अमीन एवं कर संग्राहक को अतिक्रमित भाग को रंग से चिन्हीत करने के लिए भेजा गया। अमीन द्वारा चिन्हीत कर दिनांक 03.12.2015 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया। चिन्हीत किये जाने के उपरान्त भी अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमित भाग को खाली नहीं किया गया है।


अमीन द्वारा प्रतिवेदित अतिक्रमित भाग को हटाने का आदेश दिया जाता है।

ज्ञापांक..... 4864.....

दिनांक 7-12-2015

प्रतिलिपि:- संबंधित व्यक्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर


नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर